कर्मचारी राज्य बीमा निगम
श्रम एंव रोजगार मंत्रालय), भारत सरकार(
EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION
(Ministry of Labour & Employment, Govt of India)

पंचदीप भवन, सी॰ आई॰ जी॰ मार्ग, नई दिल्ली
Panchdeep Bhawan, CIG Marg, New Delhi-02
Website : www.esic.nic.in

कार्यालय ज्ञापन/ OFFICE MEMORANDUM

विषय: कर्मचारी राज्य बीमा निगम में कार्यरत कर्मचारियों को एकीकृत पेंशन योजना में शामिल करना।

Subject: Inclusion of Employees working in ESI Corporation in Unified Pension Scheme-reg.

वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग द्वारा जारी राजपत्र अधिसूचना सं. एफएक्स-1/3/2024-पीआर दिनांक 24.01.2025 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसके माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा एनपीएस के तहत व्याप्त किए गए केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए एनपीएस के तहत एक विकल्प के रूप में एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) शुरू की गई है।

Attention is invited to the Gazette Notification No. FX-1/3/2024-PR dated 24.01.2025 issued by the Department of Financial Services, Ministry of Finance vide which the Unified Pension Scheme (UPS) has been introduced as an option under the NPS by the Central Government for the Central government employees covered under NPS.

चूंकि एनपीएस के अंतर्गत आने वाले केंद्रीय सरकार के कर्मचारी यूपीएस के लिए अपना विकल्प प्रस्तुत करने के पात्र हैं, इसलिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने कर्मचारी राज्य बीमा निगम कर्मचारियों को यूपीएस में शामिल करने के लिए केंद्रीय सरकार से अनुमोदन मांगा है।

As the Central Government employees, who are covered under NPS, are eligible to submit their option for UPS, ESIC has sought approval of the Central Government for inclusion of ESIC employees in UPS.

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने दिनांक 28.05.2025 के पत्र के माध्यम से सूचित किया है कि व्यय विभाग से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत सभी स्वायत्त निकायों सहित एक एकीकृत प्रस्ताव पर कार्रवाई की जा रही है और व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के बाद इस संबंध में तदनुसार सूचित किया जाएगा।

The Ministry of Labour & Employment, Govt of India vide letter dated 28.05.2025 has informed that an integrated proposal including all Autonomous Bodies under Ministry of Labour & Employment is being processed to seek the clarification from the Department of Expenditure, Ministry of Finance, Govt of India and further clarification in this regard will be intimated after receiving the clarification (s) from Department of Expenditure, Ministry of Finance, Govt of India.

अत:, सभी संबंधितों को एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार से इस संबंध में निर्देश प्राप्त होने के बाद यथा समय आगे की कार्रवाई की सूचना दी

जाएगी।

Hence, all the concerned are hereby informed that further course of action will be intimated in due course on receipt of directions/ reply in this regard from the Ministry of Labour & Employment, Govt of India.

यह ज्ञापन सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।
This issues with the approval of the Competent Authority.

Digitally signed by
Manoj Kumar Sahoo
Date: 04-06-2025
10:53:08

सहायक निदेशक
ASSISTANT DIRECTOR

प्रतिलिपि/ Copy to:-

1. महानिदेशक / वित्त आयुक्त/मुख्य सतर्कता अधिकारी के प्रधान निजि सचिव को सूचनार्थ हेतु।
2. सभी आंचलिक बीमा आयुक्त/चिकित्सा आयुक्त के प्रधान निजि सचिव को सूचनार्थ हेतु।
3. सभी बीमा आयुक्त/चिकित्सा आयुक्त के प्रधान निजि सचिव को सूचनार्थ हेतु।
4. सभी क्षेत्रीय कार्यालय / उप क्षेत्रीय कार्यालय के क्षेत्रीय निदेशक / निदेशक (प्रभारी) / उप निदेशक (प्रभारी) को सूचनार्थ हेतु।
5. सभी ईएसआई अस्पताल / ईएसआई माडल अस्पताल के चिकित्सा अधिक्षक एवं चिकित्सा शिक्षा संस्थान के डीन को सूचनार्थ हेतु।
6. सभी क्षेत्रीय कार्यालय / उप क्षेत्रीय कार्यालय / अस्पताल / चिकित्सा शिक्षा संस्थान के संयुक्त निदेशक (वित्त) / उप निदेशक (वित्त) / सहायक निदेशक (वित्त) को सूचनार्थ हेतु।
7. उप निदेशक, स्थापना शाखा-1 व 5, मुख्यालय को सूचनार्थ हेतु।
8. निदेशक वित्त/ उप-निदेशक (वित्त एवं लेखा शाखा-3)/ उपनिदेशक (वित्त एवं लेखा शाखा- 4)/ रोकड़ शाखा मुख्यालय को सूचनार्थ हेतु।
9. वेबसाइट सामग्री प्रबन्धक को ईएसआई कार्पोरेशन की वेबसाईट पर अपलोड करने के अनुरोध के साथ।